

ई0मेल

प्रेषक:

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

✓ राज्य के सभी  
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 13/102-2023 पी0आर0टी0(ए.आर.टी.)(2)  
दिनांक पंचकूला 4/4/2024

**विषय:** वर्ष 2017 में लगे पी0आर0टी0 अध्यापकों को स्कूल अलॉट करने उपरान्त कार्यभार मुक्ति व कार्यग्रहण करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 13/102-2023 पी0आर0टी0(ए.आर.टी.)(2) दिनांक 16.03.2024 की निरन्तरता में।


विषयांकित मामले आपको सूचित किया जाता है विज्ञापन क्रमांक 2/2012 के तहत नियुक्त 2017 बैच के अध्यापकों को निदेशालय के आदेश दिनांक 18.10.2023, 23.10.2023 व 15.03.2024 के तहत स्थाई जिला आवंटित करने उपरान्त दिनांक 16.03.2024 को स्कूल अलॉट किये गये थे। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अध्यापकों को कार्यभार मुक्त व कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु Model Code of Conduct में दिनांक 22.03.2024 को छूट प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं—

"I am directed to refer to your proposal received in the Commission through eVigil Reference No. 2928, dated 19.03.2024 on the subject cited above and to inform that the Commission has approved your proposal subject to the condition that the teachers associated with the election related work shall NOT be relieved till completion of election process."

अतः आपको लिखा जाता है कि Election Commission of India द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों की दृढ़ता से पालना करते हुए अपने-अपने जिले से सम्बन्धित पी0आर0टी0 अध्यापकों को तुरन्त प्रभाव से कार्यभार मुक्त व कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि किसी अध्यापक के मामले में माननीय कोर्ट द्वारा status quo के आदेश दिये गये हैं या स्टे प्रदान किया गया है उन अध्यापकों को निदेशालय के आगामी आदेशों तक रिलीव व ज्वार्इन न करवाया जाए।

**संलग्न: उपरोक्तानुसार।**

  
5/4/2024  
प्रशासनिक अधिकारी  
का0 महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा  
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक: सम

उपरोक्त की एक प्रति विभागीय आई0टी0 सैल को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक पंचकूला,  
— हस्ता —  
प्रशासनिक अधिकारी  
का0 महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा  
पंचकूला।



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

No. 141(2)/Elec-2024/3AE- 2380

Dated: 28.3.2024

To


The Director,  
Elementary Education Department,  
Haryana, Panchkula

Subject: Lok Sabha Elections, 2024: cVigil Reference No. 2928, dated 19.03.2024 seeking relaxation in Relieving/Joining of PRT Teachers for the smooth functioning of schools in the academic session 2024-25-reg.

Sir,

On the subject cited above, I am directed to forward herewith a Commission's letter No. 437/ECI/TERR/HAR-HP/2024/NS-II, dated 22.03.2024 for information and necessary action.

Yours faithfully,

  
Asstt. Chief Electoral Officer,  
for: Chief Electoral Officer, Haryana.

Copy to: All District Election Officer in the State

By Speed Post/e-mail



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय  
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 437/EC/TERR/HAR/HP/2024/NS-II

Dated: 22 March, 2024

To

The Chief Electoral Officer  
Haryana  
Chandigarh.

Sub: Lok Sabha Elections, 2024: eVigil Reference No. 2928, dated 19.03.2024 seeking relaxation in Relieving/Joining of PRT Teachers for the smooth functioning of schools in the academic session 2024-25 -reg

Sir.

I am directed to refer to your proposal received in the Commission through eVigil Reference No. 2928, dated 19.03.2024 on the subject cited above and to inform that the Commission has approved your proposal subject to the condition that the teachers associated with the election related work shall NOT be relieved till completion of election process.

Yours faithfully,

  
(K.P. SINGH)  
UNDER SECRETARY